न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/2974/2006/धौलपुर

1. नेकसिया पुत्र तुलुआ
2. रमेश
3. दीनदयाल
4. वासुदेव
5. पप्पू पुत्रगण शंकरिया
6. मु. राना
7. मु. सन्तो पुत्रियां शंकरिया
8. ओमप्रकाश पुत्र अंगना
   समस्त जाति जाटव निवासी नगला वीधौरा तहसील बाडी
   जिला धौलपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, धौलपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाडी जिला धौलपुर
3. मु. किस्तूरी बेवा दामोदर
4. केदार पुत्र दामोदर
   समस्त जाति गडरिया निवासी नगला वीधौरा तहसील बाडी
5. मु. गुडडी पुत्री दामोदर पत्नी रामनिवास जाति गडरिया निवासी डौगर बाडा तहसील खेरागढ
6. मंजू पुत्री दामोदर पत्नी दाताराम जाति गडरिया निवासी पंचगांव तहसील व जिला धौलपुर
7. मु. मीना पुत्री दामोदर नाबालिग जरिये वली माता मु. किस्तूरी निवासी नगला वीधौरा तहसील बाडी जिला धौलपुर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री अविनाश माथुर, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री राजेन्द्रप्रसाद मीणा, उपराजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सरकार
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या– 3 से 7

निर्णय

दिनांक 15.07.2010

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15-02-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, बाडी के न्यायालय में प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नागला वीधौरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 674/ रकबा 2.5बीघा एवं खसरा नम्बर 675/2 रकबा 04.05 जिसका हाल नम्बर 1013 रकबा 2.05बीघा के खातेदार काश्तकार पंजाबी - पोखना पिसरान जगयाल थे। पंजाबी व पोखना सम्वत् 2034 व 2035 में लाऔलाद फौत हो गये, उसके भाई तुलुआ के लडके शंकरिया, नेकसिया व भजन के वारिस हुए। भजन के फौत होने पर उसका वारिस वादी ओमप्रकाश है। पंजाबी व पोखना के मरने के बाद वादीगण नेकसिया, शंकरिया हिस्सा 2/3 व ओमप्रकाश हिस्सा 1/3 के नाम दाखिल खारिज हुआ लेकिन सम्वत् 2022 में विवादित आराजी का सिवायचक दर्ज कर दिया, इसकी कोई जानकारी वादीगण को नहीं हुई। वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। अतः वादीगण को विवादित आराजी खसरा 1013 रकबा 02.05बीघा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित

सात तनकियात कायम की गयी एवं उभय पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-03-2004 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण की ओर से भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय 15-02-2006 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि बन्दोबस्त से पूर्व विवादित आराजी पंजाबी व पोखना पुत्र जगमाल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी, उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण जो उसके भाई तुलुआ के लडके है, का विवादित आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उनका कथन है कि बन्दोबस्त विभाग को पूर्व के इन्द्राज को बन्दोबस्त में दोहराना होता है, बन्दोबस्त विभाग को विवादित आराजी के इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में इन्द्राज परिवर्तन कर विवादित आराजी को सिवाय चक दर्ज कर दिया, जो क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण शून्य प्रभावी थे। उनका कथन है कि वादीगण विवादित आराजी के मृतक खातेदार पंजाबी व पोखना के उत्तराधिकारी है, जिन्हें मृतक खातेदारान की विवादित

आराजी पर हक व अधिकार प्राप्त है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

5. योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज थी, जिसका नियमानुसार प्रत्यर्थी संख्या–3 से 7 का आवंटन किया गया। आवंटन उपरान्त आवंटित भूमि का कब्जा नियमानुसार आवंटियों का प्रदान किया गया तथा वर्तमान में विवादित आराजी आवंटीगण के नाम राजस्व अभिलेख तथा नक्शें में भी तरमीम हो चुकी है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि विवादित आराजी पर वादीगण काबिज काश्त है। उनका कथन है कि उनका कथन है कि पंजाबी व पोखना के जीवनकाल में ही विवादित आराजी सम्वत् 2022 में राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज हो गयी थी, जिसके बाबत् कोई कार्यवाही तत्समय पंजाबी व पोखना द्वारा नहीं की गयी। पंजाबी व पोखना के लाऔलाद फौत होने के उपरान्त वादीगण को विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण संख्या–3 लगायत 7 ने अपनी बहस में योग्य उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धरित बहस का समर्थन करते हुए अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

7. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी, बाडी के न्यायालय में प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम नागला वीधौरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 674/ रकबा 2.5बीघा एवं खसरा नम्बर 675/2 रकबा 04.05 जिसका हाल नम्बर 1013 रकबा 2.05बीघा के खातेदार काश्तकार पंजाबी – पोखना पिसरान जगयाल थे। पंजाबी व पोखना सम्वत् 2034 व 2035 में लाऔलाद फौत हो गये, उसके भाई तुलुआ के लडके शंकरिया, नेकसिया व भजन के वारिस हुए। भजन के फौत होने पर उसका वारिस वादी ओमप्रकाश है। पंजाबी व पोखना के मरने के बाद वादीगण नेकसिया, शंकरिया हिस्सा 2/3 व ओमप्रकाश हिस्सा 1/3 के नाम दाखिल खारिज हुआ लेकिन सम्वत् 2022 में विवादित आराजी का सिवायचक दर्ज कर दिया, इसकी कोई जानकारी वादीगण को नहीं हुई। वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त होने के आधार पर विवादित आराजी खसरा 1013 रकबा 02.05बीघा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी दिनांक 06–11–1977 को

भू-दान अभियान के दौरान प्रत्यर्थीगण संख्या-3 से 7 के पूर्वज दामोदर को आवंटित की गयी, आवंटन उपरान्त आवंटित भूमि का कब्जा भी आवंटी को प्रदान किया, नक्शे में तरमीम की गयी एवं राजस्व रिकार्ड में आंवटित भूमि आवंटी के नाम दर्ज की गयी। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि विवादित आराजी पर वाद प्रस्तुत करने की दिनांक को वादीगण काबिज काश्त थे। वादपत्र में स्वंय वादीगण स्वीकार करते है कि पंजाबी एवं पोखना पिसरान जगयाल सम्वत् 2034-35 में लाऔलाद फौत हो गये जबकि विवादित आराजी सम्वत् 2022 में ही राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज हो गयी थी, जिसके बाबत् तत्समय पंजाबी एवं पोखना की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी है। इसके साथ ही वादीगण ने मृतक पंजाबी एवं पोखना के विधिक वारिसान होने बाबत् भी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। तत्पश्चात् अपीलीय न्यायालय द्वारा भी वादीगण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

9. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के मद्देनजर

विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15-02-2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, बाडी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-03-2004 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य